

## कार्यालय छावनी परिषद बबीना

### नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि छावनी परिषद बबीना के बुध बाजार में स्थित मीट मार्केट में वर्तमान में खाली कुल 7 दुकानों (दुकान क्रम सं0 6 से 9, 18, 22 एवं 24) को केवल बकरे का मीट एवं चिकेन (मुर्गा) के व्यवसाय के प्रयोजन हेतु लाईसेन्स पर देने के लिये खुली नीलामी दिनांक 16/07/2019 दिन मंगलवार को समय प्रातः 11:30 बजे से कार्यालय छावनी परिषद, बबीना में की जानी है, जिसके लिये इच्छुक व्यक्ति/फर्म के प्रोपराईटर/दुकानदारों को आमंत्रित किया जाता है।

- (1) लाईसेन्स फार्म खरीदने की अंतिम तिथि व समय - दिनांक 10/07/2019 को सांय 17:00 बजे तक।
- (2) लाईसेन्स फार्म का शुल्क - रु0 100.00 + GST
- (3) अग्रिम धनराशि रु0 4,000/- जमा करने की अंतिम तिथि व समय - दिनांक 12/07/2019 को सांय 17:00 बजे तक।
- (4) पूर्ण रूप से भरा हुआ, हस्ताक्षरित एवं अग्रिम धनराशि की रसीद अथवा एफ.डी.आर. के साथ लाईसेन्स फार्म जमा करने की तिथि व समय - दिनांक 12/07/2019 को सांय 17:00 बजे तक।
- (5) नीलामी में शामिल होने के लिये पास जारी करने की तिथि व समय - दिनांक 16/07/2019 को प्रातः 10:30 बजे से नीलामी शुरू होने तक।


लाईसेन्स फार्म के साथ संलग्न किये जाने वाले अनिवार्य दस्तावेजों की सूची

1. आधार कार्ड अथवा फोटोयुक्त वैध पहचान पत्र एवं निवास का प्रमाण संबंधी दस्तावेज की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति।
2. पासपोर्ट आकार के नवीनतम दो फोटोग्राफ।
3. स्थानीय पुलिस थाना द्वारा जारी पुलिस सत्यापन (Police Verification) की मूल प्रति।
4. स्थानीय सरकारी अस्पताल अथवा जिला चिकित्सालय द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
5. छावनी परिषद बबीना से संबंधित वर्तमान तक के समस्त करों/शुल्क की अदायगी की रसीद की छायाप्रतियाँ।
6. फोटोशुदा नोटरी शपथपत्र, जिसका प्रारूप इस कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

नोट :- उपर्युक्त वर्णित अनिवार्य दस्तावेजों में से यदि कोई दस्तावेज लाईसेन्स फार्म के साथ संलग्न नहीं किया जाता है अथवा संलग्न किये गये दस्तावेज वैध नहीं पाये जाते हैं तो ऐसे आवेदनकर्ता को नीलामी में शामिल होने के लिये पास जारी नहीं किया जायेगा और नीलामी में शामिल नहीं किया जा सकेगा। अपरिहार्य अथवा प्रशासनिक कारणों से उपरोक्त किसी भी नियत तिथि में बदलाव किया जा सकता है जिसके लिये यथोचित सूचित किया जायेगा।

नीलामी से संबंधित अन्य नियम एवं शर्तें कार्यालय के सूचना पट पर चस्पा कर दी गई हैं एवं राजस्व विभाग में उपलब्ध हैं, जो किसी भी कार्यदिवस में 10:00 बजे से 17:00 बजे तक कार्यालय में आकर संबंधित अनुभाग में देखी जा सकती हैं एवं कार्यालय की वेबसाईट [www.cbbabina.org.in](http://www.cbbabina.org.in) से भी प्राप्त की जा सकती हैं।

पत्रांक : आर.आई./नीलामी/24 दुकान/2019-20/320  
कार्यालय छावनी परिषद बबीना  
दिनांक 28 जून, 2019

  
मुख्य अधिशासी अधिकारी  
छावनी परिषद, बबीना  
(महेश चन्द्र सेनी, आईडीईएस)

बुध बाजार के मीट मार्केट में स्थित 24 दुकानों में से वर्तमान में रिक्त 7 दुकानों (क० सं० 06 से 09 एवं 18, 22 एवं 24 तक) को केवल मीट/मुर्गा व्यवसाय (सुअर के मीट के व्यवसाय को छोड़कर) के लिये लाइसेन्स पर देने के लिये नीलामी की नियम एवं शर्तें :-

1. जिस व्यक्ति/फर्म द्वारा बुध बाजार में स्थित मीट/मुर्गा व्यवसाय (सुअर के मीट के व्यवसाय को छोड़कर) के लिये 24 दुकानों में से कोई भी दुकान लाइसेन्स पर ले ली गई है उन्हें नीलामी में पुनः शामिल नहीं किया जायेगा। अतः कृपया ऐसे व्यक्ति/फर्म पुनः आवेदन न करें।
2. छावनी परिषद, बबीना द्वारा आरोपित करों में से जो भी आवेदक पर लागू हों उनकी वर्तमान तक की आदयगी की रसीद की छायाप्रति लाइसेन्स फार्म के साथ संलग्न करना होगा।
3. नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति/फर्म छावनी परिषद बबीना के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी भी वाद में वादी अथवा प्रतिवादी नहीं होना चाहिये।
4. नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति/फर्म बोली लगाने के पूर्व दुकानों की स्थिति एवं साईज का निरीक्षण स्वयं मौकें पर जाकर कर लें। बोली लगाने अथवा बोली स्वीकृत होने के पश्चात स्थिति अथवा साईज के संबंध में कोई दावा मान्य नहीं होगा।
5. यदि नीलामी के लिये निर्धारित तिथि पर समस्त दुकानों की नीलामी प्रक्रिया सम्पन्न नहीं हो पाती है तो शेष दुकानों की नीलामी आगामी कार्यदिवसों में उसी समय पर सम्पन्न की जायेगी।
6. 24 दुकानों में से वर्तमान में रिक्त 7 दुकानों (क० सं० 06 से 09 एवं 18, 22 एवं 24 तक) की नीलामी केवल मीट/मुर्गा व्यवसाय (सुअर के मीट के व्यवसाय को छोड़कर) के लिये होगा, इन दुकानों में किसी अन्य तरह का व्यवसाय नहीं किया जायेगा।
7. आवेदनकर्ता द्वारा पूर्ण रूप से भरा हुआ, हस्ताक्षरित लाइसेन्स फार्म के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करना होंगे :-
  - I. आधार कार्ड अथवा फोटोयुक्त वैध पहचान पत्र एवं निवास का प्रमाण संबंधी दस्तावेज की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति।
  - II. पासपोर्ट आकार के नवीनतम दो फोटोग्राफ।
  - III. स्थानीय पुलिस थाना द्वारा जारी पुलिस सत्यापन (Police Verification) की मूल प्रति।
  - IV. स्थानीय सरकारी अस्पताल अथवा जिला चिकित्सालय द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
  - V. छावनी परिषद बबीना से संबंधित वर्तमान तक के समस्त करों/शुल्क की अदायगी की रसीद की छायाप्रतियाँ।
  - VI. फोटोशुदा नोटरी शपथपत्र, जिसका प्रारूप इस कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
  - VII. अग्रिम धनराशि रूपया 4,000.00 (रूपया चार हजार मात्र) की कैंप 4-बी रसीद की मूल प्रति अथवा एफ.डी.आर., जो मुख्य अधिशासी अधिकारी के पक्ष में देय हो, अग्रिम धनराशि ऑनलाईन/नेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से छावनी परिषद बबीना के बैंक खाते में भी जमा किया जा सकता है, जिस हेतु आवश्यक विवरण कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
8. नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति/फर्म बोली लगाने के पूर्व इन दुकानों में उनके द्वारा प्रस्तावित व्यवसाय की सूचना छावनी परिषद, बबीना के निर्धारित लाइसेन्स फार्म में लिखकर देनी होगी जिसका उल्लेख बाद में इकरारनामों में भी किया जायेगा।
9. आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्तुत लाइसेन्स फार्म के साथ समस्त अनिवार्य दस्तावेजों के सही पाये जाने उपरांत आवेदनकर्ता को नीलामी में शामिल होने के लिये पास जारी किया जायेगा।
10. अनिवार्य दस्तावेजों में से यदि कोई दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं किया जाता है अथवा संलग्न किये गये दस्तावेज वैध नहीं पाये जाते हैं तो ऐसे आवेदनकर्ता को नीलामी में शामिल होने के लिये पास जारी नहीं किया जायेगा एवं ना ही नीलामी में शामिल किया जायेगा।
11. अपूर्ण, अहस्ताक्षरित अथवा अग्रिम धनराशि के बिना लाइसेन्स फार्म स्वतः ही निरस्त माना जायेगा तथा ऐसे आवेदनकर्ता को नीलामी में शामिल होने के लिये पास जारी नहीं किया जायेगा एवं ना ही नीलामी में शामिल किया जायेगा।
12. नीलामी में शामिल होने के लिये जिन लोगों को पास जारी किया जायेगा केवल वे ही नीलामी में शामिल होने के पात्र होंगे अन्य किसी व्यक्ति को नीलामी प्रक्रिया के दौरान शामिल होने अथवा उपस्थित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
13. अपरिहार्य अथवा प्रशासनिक कारणों से नीलामी की तिथि में बदलाव किया जा सकता है जिसके लिये यथोचित सूचित किया जायेगा।
14. सभी प्रतिभागी किसी भी दुकान की नीलामी में भाग ले सकते हैं परन्तु जिस व्यक्ति/फर्म की अधिकतम बोली किसी दुकान के लिये बोली जाती है तो वह बाकी अन्य दुकानों में बोली बोलने के लिये अधिकारी नहीं होगा।
15. दुकानों के लाइसेन्स पर देने के लिये नीलामी प्रत्येक दुकान की मासिक लाइसेन्स फीस के लिये की जायेगी।

16. छावनी परिषद, बबीना द्वारा उक्त 24 दुकानों में से वर्तमान में रिक्त 15 दुकानों (क० सं० 03 से 10 एवं 18 से 24 तक) के लिये रिजर्व लाईसेन्स फीस रु० 800-00 निर्धारित की गई है। प्रारम्भिक बोली रिजर्व लाईसेन्स फीस में कम से कम रुपया 100-00 बढ़ाकर होगी। इसी तरह प्रत्येक बोली पिछली बोली में कम से कम रुपया 100-00 बढ़ाकर बोली जायेगी।
17. किसी भी दुकान की नीलामी के लिये कम से कम दो बोली प्राप्त होना अनिवार्य होगी तथा यदि नीलामी के अंत में यदि किसी दुकान की नीलामी के लिये अंतिम एक प्रतिभागी शेष बचता है तो ऐसे प्रतिभागी द्वारा प्रदाय की गई बोली को छावनी परिषद, बबीना की आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा तथा छावनी परिषद, बबीना को ऐसी एकल बोली को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा जो बोलीदाता पर बाध्यकारी होगा तथा इस संबंध में कोई आपत्ति अथवा क्लेम मान्य नहीं होगा।
18. सशर्त बोली पर विचार नहीं किया जायेगा।
19. नीलामी प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत अधिकतम बोली बोलने वाले बोलीदाता की अग्रिम धनराशि को छोड़कर अन्य व्यक्तियों की अग्रिम धनराशि उनके प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर वापिस कर दी जाएगी एवं अधिकतम बोलीदाता के आवेदन पर उसके द्वारा जमा की जाने वाली जमानत धनराशि में समायोजित कर दी जायेगी।
20. प्रत्येक दुकान की मासिक लाईसेन्स फीस के लिये प्राप्त अधिकतम बोली को आधार मानते हुये 11 माह के लाईसेन्स फीस के बराबर धनराशि को जमानत धनराशि माना जायेगा।
21. नीलामी के उपरांत सफल बोलीदाता को जमानत धनराशि (बिना ब्याज के वापिसी योग्य) की पूर्ण धनराशि नीलामी की तिथि से 07 कार्यदिवस के अन्दर छावनी परिषद, बबीना में नगद अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जमा करना होगी। जमानत धनराशि ऑनलाईन/नेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से छावनी परिषद बबीना के बैंक खाते में भी जमा किया जा सकता है, जिस हेतु आवश्यक विवरण कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
22. उक्त 24 दुकानों में से वर्तमान में रिक्त 7 दुकानों (क० सं० 06 से 09 एवं 18, 22 एवं 24 तक) की नीलामी लाईसेन्स पर देने के लिये प्रथमतः एक वर्ष के लिये की जायेगी। लाईसेन्स अवधि की गणना छावनी परिषद, बबीना द्वारा स्वीकृत होने के पश्चात हस्तांतरण की तिथि से की जायेगी।
23. उपरोक्त लाईसेन्स अवधि के सफलतापूर्वक समाप्त होने एवं संतोषजनक पाये जाने पर तथा लाईसेन्स अवधि के दौरान निर्विवाद रहने पर छावनी अधिनियम 2006 के अंतर्गत लाईसेन्स की अवधि एक-एक वर्ष के लिये अधिकतम चार बार, पिछले वर्ष की लाईसेन्स फीस में 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ, बढ़ाई/नवीनीकृत की जा सकती है परन्तु यह पूर्णतः केवल मुख्य अधिशासी अधिकारी/छावनी परिषद बबीना के विवेक पर निर्भर करता है, जो मुख्य अधिशासी अधिकारी/छावनी परिषद बबीना पर बाध्यकारी नहीं होगा और न ही इस संबंध में कोई दावा स्वीकार किया जायेगा।
24. किसी भी स्थिति में लाईसेन्स की अवधि पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी एवं मुख्य अधिशासी अधिकारी/छावनी परिषद बबीना को यह सम्पूर्ण अधिकार होगा कि लाईसेन्स अवधि के पश्चात दुकानों की पुनः नीलामी कर सकते हैं इस संबंध में कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा।
25. यदि सफल बोलीदाता जमानत धनराशि निर्धारित समयावधि में जमा करने में असफल रहता है तो उसके द्वारा जमा अग्रिम धनराशि जब्त कर दुकान की पुनः नीलामी की जायेगी तथा इस संबंध में किसी भी प्रकार की अनुनय-विनय किसी भी दशा में मान्य नहीं होगी।
26. सफल बोलीदाता द्वारा समस्त देय जमा किये जाने के उपरांत लाईसेन्स प्रदान करने के संबंध में मामले को छावनी परिषद, बबीना की आगामी बैठक में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।
27. यदि किन्हीं कारणवश अधिकतम बोली बोलने वाले बोलीदाता की बोली छावनी परिषद, बबीना द्वारा स्वीकृत नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में सफल बोलीदाता द्वारा जमा की गई अग्रिम धनराशि एवं जमानत धनराशि उसको बिना ब्याज के वापिस की जायेगी एवं इस संबंध में सफल बोलीदाता कोई अनुतोष पाने अथवा अन्य क्लेम का अधिकारी नहीं होगा एवं इस संबंध में अधिकतम बोली बोलने वाले बोलीदाता द्वारा कोई दावा नहीं किया जा सकेगा।
28. यदि अधिकतम बोली बोलने वाले बोलीदाता की बोली छावनी परिषद बबीना द्वारा स्वीकृत हो जाती है तो ऐसी स्थिति में सफल बोलीदाता द्वारा जमानत धनराशि के रूप में जमा की गई धनराशि लाईसेन्सधारी द्वारा लाईसेन्स अवधि के बीच में दुकान खाली करने, लाईसेन्सधारी द्वारा लाईसेन्स का नवीनीकरण हेतु आवेदन नहीं करने, छावनी परिषद, बबीना द्वारा लाईसेन्स की अवधि का नवीनीकरण नहीं करने अथवा लाईसेन्स अवधि के सफलतापूर्वक समाप्त होने एवं लाईसेन्सधारी द्वारा छावनी परिषद, बबीना को दुकान हस्तांतरण करने के उपरांत, छावनी परिषद के बकाया देयों को काटकर, अन्य शर्तों के अधीन बिना ब्याज के वापिस की जायेगी। लाईसेन्स स्वीकृत हो जाने पर
29. लाईसेन्स स्वीकृत हो जाने पर
  - क. सफल बोलीदाता को तीन माह की लाईसेन्स फीस सूचना प्राप्ति की तिथि से 03 दिवस के अन्दर एडवांस जमा करनी होगी जो लाईसेन्स अवधि समाप्त होने पर बिना ब्याज के वापिस कर दी जायेगी। यदि सफल बोलीदाता तीन माह के मासिक किराये की धनराशि निर्धारित अवधि के अन्दर एडवांस जमा नहीं करता है तो उसके द्वारा जमा समस्त धनराशि जब्त कर उक्त दुकान की पुनः नीलामी की जायेगी जिसका समस्त उत्तरदायित्व संबंधित लाईसेन्सधारी का होगा।


- ख. सफल बोलीदाता को छावनी परिषद बबीना के साथ एग्रीमेंट/करार करना होगा जिसके लिये रु0 100.00 मूल्य का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर सूचना प्राप्ति की तिथि से 03 दिवस के अन्दर कार्यालय में जमा करना होगा।
30. यदि लाईसेन्सधारी निर्धारित अवधि के अन्दर एग्रीमेंट/करार नहीं करता है तो ऐसे लाइसेन्सधारी के विरुद्ध लाईसेन्स निरस्तीकरण की कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है और ऐसी परिस्थिति में, छावनी परिषद बबीना द्वारा लाईसेन्स निरस्तीकरण करने के पश्चात, लाइसेन्सधारी द्वारा जमा की गई समस्त धनराशि जब्त कर ली जायेगी, जिसके लिये लाईसेन्सधारी किसी अनुतोष अथवा क्लेम पाने का अधिकारी नहीं होगा।
  31. जिन व्यक्तियों/दुकानदारों को उपरोक्त नीलामी के माध्यम से मीट/मुर्गा व्यवसाय हेतु दुकाने लाईसेन्स पर प्रदान की जायेगी, वे छावनी क्षेत्र में अन्यत्र कहीं भी माँसाहार से संबंधित अन्य कोई व्यवसाय नहीं करेंगे।
  32. सफल बोलीदाता द्वारा समस्त शर्तों को पूर्ण करने तथा इकरारनामे के सम्पन्न होने के पश्चात ही दुकान हस्तान्तरित की जायेगी।
  33. छावनी परिषद, बबीना द्वारा स्लाटर हाउस में तीन जल संयोजन प्रदान किये गये हैं जिसके लिये प्रत्येक लाईसेन्सधारी को लाईसेन्स फीस के अतिरिक्त रु0 50/- प्रतिमाह का भुगतान करना होगा, जिसकी गणना छावनी परिषद द्वारा व्यवसायिक उपयोग हेतु जल संयोजन के लिये निर्धारित वर्तमान दर रु0 3600/- प्रति वर्ष प्रति कनेक्शन के आधार पर की गई है, जो समय-समय पर छावनी परिषद द्वारा पुनःरीक्षित की जा सकेगी और यह लाईसेन्सधारी पर बाध्यकारी होगा।
  34. प्रत्येक लाईसेन्सधारी को लाईसेन्स फीस एवं अन्य देयों का भुगतान प्रत्येक माह की 10 तारीख तक कार्यालय में करना होगा।
  35. दुकानों में विद्युत संयोजन एवं आपूर्ति की व्यवस्था यू.पी.पी.सी.एल., झांसी के माध्यम से छावनी परिषद, बबीना द्वारा की जायेगी जिसके लिये प्रयास किये जा रहे हैं तथा यू.पी.पी.सी.एल. द्वारा स्वीकृति मिलने के पश्चात ही विद्युत संयोजन एवं आपूर्ति की व्यवस्था की जायेगी।
  36. यू.पी.पी.सी.एल. द्वारा जो विद्युत आपूर्ति दुकानों में की जायेगी उसका बिल मुख्य अधिशासी अधिकारी/ छावनी परिषद, बबीना के नाम से होगा तथा उसकी कुल देय राशि उस समय जितनी दुकाने लाईसेन्स पर दी गई होंगी उन दुकानों के लाईसेन्सधारियों में बराबर बराबर बाँट दी जायेगी तथा भुगतान हेतु प्रत्येक लाईसेन्स धारक को इस कार्यालय द्वारा बिल प्रेषित किये जायेंगे और प्रत्येक लाईसेन्सधारी को उसका भुगतान बिल प्राप्त होने की तिथि से तीन दिन के अन्दर करना होगा अन्यथा की स्थिति में मुख्य अधिशासी अधिकारी/छावनी परिषद द्वारा विद्युत कनेक्शन काटा जा सकता है। बिल का भुगतान प्रत्येक लाईसेन्सधारी को अनिवार्य रूप से करना होगा चाहे वह विद्युत का खपत कम करे या बिल्कुल न करे और दुकान खोले अथवा बन्द रखे। इस संबंध में कोई अनुनय-विनय अथवा आवेदन मान्य नहीं होगा।
  37. प्रत्येक लाईसेन्सधारी/दुकानदार 350 वाट से अधिक विद्युत भार का उपयोग नहीं करेगा। तथा यदि इस कार्यालय के स्टाफ द्वारा की निरीक्षण के दौरान यदि किसी लाईसेन्सधारी/दुकानदार द्वारा उपयोग किया जा रहा विद्युत भार 350 वाट से अधिक पाया जाता है अथवा दुकान में लगी इलैक्ट्रिक केबिल से टेम्परिंग/छेड़छाड़ करता पाया जाता है अथवा उससे अन्य किसी तरह से विद्युत उपयोग करता पाया जाता है या दूसरे किसी अन्य व्यक्ति को विद्युत आपूर्ति उपभोग हेतु उपलब्ध कराता है तो ऐसी स्थिति में मुख्य अधिशासी अधिकारी द्वारा रु0 5000.00 तक का जुर्माना किया जा सकता है तथा विद्युत संयोजन भी काटा जा सकता है। जुर्माने की राशि छावनी परिषद द्वारा समय-समय पर पुनरीक्षित की जायेगी।
  38. यदि किसी लाईसेन्सधारी/दुकानदार अपने व्यवसाय के हिसाब से 350 वाट से अधिक विद्युत भार का उपयोग करना चाहता है तो ऐसी स्थिति में ऐसे लाईसेन्सधारी/दुकानदार को अलग से अतिरिक्त विद्युत संयोजन हेतु अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा जिस पर उसको यह दर्शाना होगा कि वह कौन-कौन से विद्युत उपकरण उपयोग करना चाहता है ताकि उसके आधार पर इस कार्यालय द्वारा आवश्यक विद्युत भार की गणना की जा सके। अतिरिक्त विद्युत कनेक्शन प्रदान करने के लिये समस्त मटेरियल एवं मीटर की आपूर्ति एवं स्थापना पर होने वाला व्यय संबंधित लाईसेन्सधारी को वहन करना होगा। इसके अतिरिक्त उक्त अतिरिक्त कनेक्शन हेतु यू.पी.पी.सी.एल. को देय कनेक्शन चार्ज एवं अन्य समस्त व्ययों का वहन भी लाईसेन्सधारी/दुकानदार को ही करना होगा। अतिरिक्त कनेक्शन हेतु लगाये जाने वाला कनेक्शन/मीटर मुख्य अधिशासी अधिकारी के नाम होगा।
  39. यदि कोई लाईसेन्सधारी अतिरिक्त विद्युत कनेक्शन प्राप्त करता है तो ऐसे अतिरिक्त विद्युत कनेक्शन के बिल की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान लाईसेन्सधारी को करना होगा तथा इसके अतिरिक्त ऊपर वर्णित 350 वाट विद्युत भार के कनेक्शन के अनिवार्य बिल का भुगतान भी लाईसेन्सधारी को करना होगा, जिसके लिये लाईसेन्सधारी कोई छूट/क्लेम/अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं होगा एवं इस संबंध में कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा।
  40. विद्युत विभाग द्वारा कटौती अथवा अन्य किसी भी वजह से लाईसेन्सधारी को विद्युत आपूर्ति उपलब्ध नहीं होती है अथवा वोल्टेज कम अथवा अधिक प्राप्त होते हैं तो ऐसी स्थिति में मुख्य अधिशासी अधिकारी/छावनी परिषद की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।
  41. दुकान में ओवरलोडिंग एवं शॉर्ट-सर्किट की वजह से किसी भी प्रकार की क्षति अथवा जन-धन हानि होती तो ऐसी स्थिति में मुख्य अधिशासी अधिकारी/छावनी परिषद की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी और न ही इस संबंध में कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि दुकान को कोई क्षति पहुँचती है तो उसकी मरम्मत/रिपेयर भी संबंधित लाईसेन्सधारी को कराना होगा अन्यथा की स्थिति में रिपेयर/मरम्मत छावनी परिषद द्वारा कराया जायेगा जिसका भुगतान लाईसेन्सधारी को करना होगा। यदि लाईसेन्सधारी उक्त धनराशि जमा नहीं करता है तो उसकी वसुली लाईसेन्सधारी की जमानत राशि से कर ली जावेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व लाईसेन्सधारी का होगा।

42. यदि कोई लाईसेन्सधारी किसी माह में निर्धारित तिथि तक लाईसेन्स फीस एवं अन्य देयों का भुगतान नहीं करता है तो उस पर रु0 50.00 प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क लगाया जायेगा।
43. यदि कोई लाईसेन्सधारी अधिकतम 3 माह तक लाईसेन्स फीस का भुगतान नहीं करता है तो मुख्य अधिशासी अधिकारी द्वारा उसका लाईसेन्स निरस्त करके तत्काल प्रभाव से दुकान खाली करवा ली जायेगी तथा लाईसेन्स फीस की वसूली उसकी अग्रिम जमा 3 माह की धनराशि से कर ली जायेगी तथा जमानत धनराशि भी जब्त कर ली जावेगी।
44. यदि कोई लाईसेन्सधारी लाईसेन्स अवधि से पूर्व दुकान खाली करके छावनी परिषद, बबीना को सौंपना चाहता है तो उसे एक माह पूर्व लिखित नोटिस एवं दो माह की लाईसेंस फीस का अतिरिक्त भुगतान करना होगा, जो लाईसेन्सधारी के अनुरोध पर उसके द्वारा जमा की गई तीन माह की एडवांस लाईसेन्स फीस में से समायोजित की जा सकती है।
45. प्रत्येक लाईसेन्सधारी मीट (बकरा) को काटने के लिये इस कार्यालय स्वच्छता निरीक्षक से प्राप्त निर्देशों के अनुरूप निर्धारित स्थान (स्लॉटर हाउस) में ही काटेंगे एवं इसके लिये छावनी परिषद, बबीना द्वारा निर्धारित स्लॉटरिंग फीस का भुगतान करना होगा। स्लॉटरिंग हाउस के अतिरिक्त अन्य किसी भी जगह कोई मीट (बकरा) नहीं काटेगा ऐसा करते हुये पाये जाने पर उसके विरुद्ध छावनी अधिनियम 2006 के अंतर्गत कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
46. बकरा काटने वाले स्थान (स्लॉटर हाउस) का समय निर्धारित करने का पूर्ण अधिकार मुख्य अधिशासी अधिकारी/छावनी परिषद बबीना को होगा।
47. प्रत्येक लाईसेन्सधारी को मीट/मुर्गा की बिक्री के समय स्वच्छता एवं विक्रय किये जा रहे मीट/मुर्गा की आरोग्यता सुनिश्चित करना होगी जिसके संबंध में मुख्य अधिशासी अधिकारी/छावनी परिषद, बबीना द्वारा अधिकृत कर्मचारी अथवा मुख्य अधिशासी अधिकारी/छावनी परिषद, बबीना के निर्देश पर इस कार्यालय के स्वच्छता निरीक्षक अथवा सहायक स्वास्थ्य अधिकारी, मिलिट्री अस्पताल द्वारा समय-समय पर उक्त दुकानों में साफ सफाई एवं विक्रय किये जा रहे मीट/मुर्गा की आरोग्यता से संबंधित निरीक्षण किया जायेगा तथा किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही अथवा कमी पाये जाने पर संबंधित लाईसेन्सधारी के विरुद्ध छावनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित लाईसेन्सधारी का होगा एवं बिक्री के पश्चात किसी भी बीमारी के लिये दुकानदार स्वयं जिम्मेवार होगा इसके लिये छावनी परिषद, बबीना की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।
48. प्रत्येक दुकानदार को स्वयं को लोहे का डस्टबिन, जिसमें ढक्कन व हत्था लगा हो, रखना होगा जिसमें वह अपशिष्ट/मीट अथवा गंदगी को एकत्र कर छावनी परिषद द्वारा निहित स्थान पर ही डालेगा। जिसके संबंध में मुख्य अधिशासी अधिकारी/छावनी परिषद, बबीना द्वारा अधिकृत कर्मचारी अथवा मुख्य अधिशासी अधिकारी/छावनी परिषद, बबीना के निर्देश पर इस कार्यालय के स्वच्छता निरीक्षक द्वारा औचक निरीक्षण किया जायेगा। यदि कोई दुकानदार लोहे का डस्टबिन नहीं रखता है अथवा अपशिष्ट/मीट/गंदगी को छावनी परिषद निर्धारित स्थान पर नहीं डालता है तो संबंधित दुकानदार पर रु0 5000/- तक का जुर्माना किया जा सकता है एवं उसका लाईसेन्स निरस्तीकरण के साथ-साथ उसके द्वारा जमा समस्त धनराशि जब्त कर उक्त दुकान को छावनी परिषद के कब्जे में लेकर पुनः नीलामी की जायेगी जिसका समस्त उत्तरदायित्व संबंधित लाईसेन्सधारी का होगा।
49. लाईसेन्स स्वीकृत हो जाने एवं दुकान के हस्तांतरण से लेकर लाईसेन्स अवधि के समाप्त होने तक दुकान में व्यवसाय तथा उसकी सम्पूर्ण देखरेख स्वयं लाईसेन्सधारी को ही करना होगा न तो वह किसी अन्य व्यक्ति को इसके लिये अधिकृत करेगा और न ही इसे किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित करेगा और यदि ऐसा पाया गया तो उसका लाईसेन्स तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जावेगा तथा उसके द्वारा जमा समस्त धनराशि जब्त कर उक्त दुकान की पुनः नीलामी की जावेगी जिसका समस्त उत्तरदायित्व संबंधित लाईसेन्सधारी का होगा।
50. लाईसेन्सधारी लाईसेन्स पर ली गई दुकान में न तो किसी तरह का कोई निर्माण कार्य करेगा और न ही उसमें किसी तरह का कोई बदलाव करेगा ऐसा करने पर उसका लाईसेन्स निरस्त किया जा सकता है और उसके विरुद्ध छावनी अधिनियम 2006 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी। यद्यपि, यदि लाईसेन्सधारी दुकान के वर्तमान प्रारूप में बिना कोई बदलाव किये दुकान में आंतरिक साज-सज्जा करना चाहता है तो वह छावनी परिषद, बबीना से लिखित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत अपने स्वयं के खर्चे पर करवा सकता है जिसके लिये लाईसेन्सधारी छावनी परिषद, बबीना से किसी मुआवजे/भुगतान की माँग नहीं करेगा।
51. लाईसेन्सधारी लाईसेन्स पर ली गई दुकान में केवल मीट/मुर्गा से संबंधित व्यवसाय करेगा, अन्य किसी तरह का व्यवसाय नहीं करेगा और यदि करता हुआ पाया गया तो उसका लाईसेन्स निरस्त कर दिया जायेगा और उसके द्वारा जमा समस्त धनराशि जब्त कर उक्त दुकान को छावनी परिषद के कब्जे में लेकर पुनः नीलामी की जायेगी जिसका समस्त उत्तरदायित्व संबंधित लाईसेन्सधारी का होगा।
52. लाईसेन्सधारी को आबटित दुकान की देखभाल एवं सुरक्षा स्वयं करना होगी तथा किसी भी सम्पत्ति की चोरी होने पर या उसकी टूट-फूट होने पर सम्पूर्ण जिम्मेवारी लाईसेन्सधारी की होगी।
53. लाईसेन्सधारी को दुकान में रखे अपने सामान इत्यादि की सुरक्षा स्वयं करना होगी चोरी अथवा दुर्घटना की स्थिति में मुख्य अधिशासी अधिकारी की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी और न ही इस संबंध में कोई दावा स्वीकार्य किया जायेगा इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार की दैवीय आपदा या दुर्घटना में लाईसेन्सधारी को अथवा उसके दुकान में कार्य करने वाले व्यक्तियों अथवा उसके दुकान में रखे सामान को किसी भी प्रकार की कोई क्षति होती है तो उसकी जिम्मेदारी मुख्य अधिशासी अधिकारी/छावनी परिषद की नहीं होगी एवं इस संबंध में कोई दावा/क्लेम स्वीकार्य नहीं होगा।

54. छावनी परिषद की सम्पत्ति की चोरी अथवा किसी प्रकार की टूट-फूट की क्षतिपूर्ति स्वयं लाईसेन्सधारी को करनी होगी। अन्यथा की स्थिति में ऐसी क्षतिपूर्ति लाईसेन्सधारी की जमानत राशि में से की जायेगी। यदि क्षतिपूर्ति की राशि जमानत राशि से अधिक होती है तो लाईसेन्सधारी शेष राशि स्वयं इस कार्यालय में जमा करेगा अन्यथा उक्त शेष राशि को वसूलने हेतु छावनी अधिनियम 2006 की धाराओं के तहत एवं अन्य कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
55. लाईसेन्स पर ली गई दुकान एवं उसके आसपास की साफ-सफाई की जिम्मेदारी स्वयं लाईसेन्सधारी की होगी।
56. बिजली कटौती अथवा किसी अन्य कारण से लाईसेन्स पर ली गई दुकान या उसके आस पास बिजली उपलब्ध न होने की स्थिति में प्रकाश की व्यवस्था स्वयं लाईसेन्सधारी को करनी होगी। उपरोक्त के अभाव में किसी भी प्रकार की चोरी/दुर्घटना की सम्पूर्ण जिम्मेदारी लाईसेन्सधारी की होगी।
57. मुख्य अधिशासी अधिकारी/छावनी परिषद बबीना को यह अधिकार होगा कि वह लाईसेन्स अवधि के दौरान समय-समय पर लाईसेन्सधारी को उचित निर्देश दे सकते हैं जो लाईसेन्सधारी पर बाध्यकारी होंगे।
58. लाईसेन्स पर दी गई दुकान की इमारत एवं उसके नीचे की भूमि छावनी परिषद बबीना की सम्पत्ति रहेगी इस संबंध में कोई दावा मान्य नहीं होगा।
59. समस्त Labour Law/Municipal Law, Shop and commercial law और राज्य अथवा केन्द्रीय संगठन की सांविधिक आवश्यकताओं एवं समय समय पर लागू किये जाने वाले समस्त संबंधित नियमों का पालन करने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी लाईसेन्सधारी की होगी। छावनी परिषद, बबीना की इस संबंध में कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
60. लाईसेन्सधारी को छावनी परिषद तथा, यदि आवश्यक हो, अन्य संबंधित केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभाग से उक्त व्यवसाय हेतु वैध लाईसेन्स प्राप्त करना होगा एवं ऐसे समस्त नियमों का पालन करने की जिम्मेदारी लाईसेन्सधारी की होगी, छावनी परिषद, बबीना की इस संबंध में कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
61. किसी भी लाईसेन्सधारी द्वारा दुकान के बाहर किसी भी तरह का कोई अतिक्रमण नहीं किया जायेगा और न ही दुकान के बाहर अतिरिक्त सरकारी जगह का अनाधिकृत रूप से अपने व्यवसाय के लिये उपयोग करेगा। अल्कोहलिक पेय पदार्थों एवं प्रतिबंधित नशीले पदार्थ आदि की बिक्री अथवा उपभोग इन दुकानों में वर्जित रहेगा। कोई भी लाईसेन्सधारी इन दुकानों में ऐसे किसी भी प्रतिबंधित पदार्थों की बिक्री अथवा सेवन में लिप्त नहीं रहेगा और न ही किसी व्यक्ति को करने देगा।
62. केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा लागू समस्त करों करों आदि का भुगतान लाईसेन्सधारी को ही करना होगा इस संबंध में छावनी परिषद, बबीना की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
63. मुख्य अधिशासी अधिकारी स्वयं अथवा उनके द्वारा अधिकृत छावनी परिषद के किसी कर्मचारी द्वारा समय समय पर दुकानों का निरीक्षण किया जायेगा। किसी भी अनियमितता अथवा शर्तों के उल्लंघन के पाये जाने पर मुख्य अधिशासी अधिकारी द्वारा रु0 5000.00 तक का जुर्माना किया जा सकता है एवं लाईसेन्स धारी द्वारा जमा समस्त धनराशि जब्त कर लाईसेन्स निरस्त करने की कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है।
64. विशेष परिस्थितियों में मुख्य अधिशासी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि बिना कारण बताये एक माह का नोटिस देकर लाईसेन्स समाप्त कर सकते हैं एवं लाईसेन्स पर दी गई दुकान को अपने अधिकार में लेकर पुनः नीलामी कर सकते हैं।
65. लाईसेन्स अवधि समाप्त होने के उपरांत छावनी परिषद, बबीना द्वारा दुकानें अपने कब्जे में ले ली जायेंगी एवं लाईसेन्सधारी द्वारा जमानत धनराशि के रूप में जमा की गई धनराशि बिना ब्याज के वापिस कर दी जायेगी।
66. यदि किसी भी स्तर पर आवेदनकर्ता/लाईसेन्सधारी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी एवं शपथ पत्र में उल्लिखित कथन असत्य अथवा भ्रामक पाये जाते हैं तो ऐसे आवेदनकर्ता/लाईसेन्सधारी को नीलामी में भाग लेने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी और/अथवा दुकान को लाईसेन्स पर लेने के पश्चात भी लाईसेन्स निरस्त करने एवं लाईसेन्सधारी द्वारा जमा की गई समस्त धनराशि को जब्त करने एवं छावनी अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही तथा अन्य कानूनी कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार मुख्य अधिशासी अधिकारी/छावनी परिषद बबीना को होगा।
67. यदि लाईसेन्सधारी द्वारा उपरोक्त नियम व शर्तें तथा इकरारानामे में उल्लिखित किसी भी शर्त अथवा/एवं मुख्य अधिशासी अधिकारी/छावनी परिषद बबीना द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन किया जाता है तो लाईसेन्सधारी पर ऐसे प्रत्येक उल्लंघन के लिये रु0 5000/- तक का जुर्माना मुख्य अधिशासी अधिकारी/छावनी परिषद बबीना द्वारा किया जा सकता है। साथ ही साथ ऐसे लाईसेन्सधारी का लाईसेन्स तत्काल प्रभाव से निरस्त करने तथा उसके द्वारा जमा समस्त धनराशि जब्त कर दुकान तत्काल प्रभाव से खाली करवाने का अधिकार मुख्य अधिशासी अधिकारी के पास होगा तथा उक्त दुकान की पुनः नीलामी की जावेगी।
68. उपरोक्त नियम एवं शर्तें तथा नीलामी सूचना लाईसेन्स के इकरारानामा का हिस्सा मानी जायेगी।
69. छावनी परिषद, बबीना व लाईसेन्सधारी के मध्य यदि कोई विवाद होता है तो उसका निस्तारण अध्यक्ष छावनी परिषद बबीना, जो कि एकल आर्बिट्रेटर होंगे, के द्वारा किया जायेगा। एकल आर्बिट्रेटर का निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
70. आवेदनकर्ता उक्त नियम एवं शर्तों को भली-भाँति पढ़ने व समझने के उपरांत ही नीलामी हेतु लाईसेन्स फार्म भरकर व अग्रिम धनराशि जमा कर नीलामी में शामिल होने के लिये आवेदन करें। यदि कोई भी आवेदनकर्ता नीलामी में शामिल होने की अनुमति मिलने के पश्चात, बिना किसी वैध कारण के, नीलामी में शामिल नहीं होता है अथवा शामिल होने के लिये किसी शर्त की डिमाण्ड रखता है अथवा अनावश्यक विवाद की स्थिति पैदा करने या नीलामी प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न करने का प्रयत्न

करता है तो ऐसी स्थिति में ओवदन कर्ता को नीलामी में भाग लेने से वंचित किया जा सकता है और साथ ही साथ आवेदन कर्ता द्वारा जमा की गई समस्त धनराशि भी जब्त की जा सकती है।

71. लाईसेन्सधारी/दुकानदार किसी भी खाद्य पदार्थ या अखाद्य सामान या सामग्री/वस्तु के भण्डारण या वितरण के लिये किसी प्रकार की प्लास्टिक थैलियों का विक्रय या भण्डारण या प्रयोग नहीं करेगा। यदि किसी लाईसेन्सधारी/दुकानदार द्वारा प्लास्टिक थैलियों का विक्रय या भण्डारण या प्रयोग करना पाया जाता है तो उसके विरुद्ध 30 प्र0 सरकार की अधिसूचना सं0 1420/79-वि-1-18-2(क)10/2018 लखनऊ दिनांक 15 जुलाई 2018 के नियमों के अंतर्गत कार्यवाही अमल में लाई जावेगी जिसमें 01 वर्ष तक के कारावास एवं 01 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है, साथ ही साथ छावनी अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत भी कार्यवाही अमल में लायी जावेगी एवं ऐसे दुकानादार का लाईसेन्स निरस्तीकरण के साथ-साथ उसके द्वारा जमा समस्त धनराशि जब्त कर उक्त दुकान को छावनी परिषद के कब्जे में लेकर पुनः नीलामी की जायेगी जिसका समस्त उत्तरदायित्व संबंधित लाईसेन्सधारी/दुकानदार का होगा।
72. मुख्य अधिशासी अधिकारी/छावनी परिषद बबीना को किसी भी या सभी लाईसेन्स आवेदन फार्म अथवा नीलामी/बोली को बिना कारण बताये निरस्त करने के साथ-साथ पुनः निविदा/नीलामी आमंत्रित करने का पूर्ण अधिकार होगा।

  
मुख्य अधिशासी अधिकारी  
छावनी परिषद, बबीना  
(महेश चन्द सैनी आई.डी.ई.एस.)